

आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम हेतु वर्ष 2018-19 में धनराशि व्यय/उपयोग किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश

एफ0एम0आर0 कोड संख्या:-E.1.9, B.30.3.7, E.1.11, E.1.12 (New FMR Code 16.8.2.2.2,8.1.13.4,16.8.2.2.5,16.8.2.2.9)

संविदा मानव संसाधन का मानदेय-

जनपद स्तर पर आई0डी0एस0पी0 के अन्तर्गत संचालित जिला सर्विलांस इकाई में कार्यरत संविदाकर्मियों क्रमशः एपिडिमियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डाटा मैनेजर एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का जिन दरों पर मानदेय जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत (लॉयल्टी बोनस सम्मिलित करते हुये) उसी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि की धनराशि पृथक से जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी।

नोट:-कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में रिक्त पद डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की तैनाती जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदित एजेन्सी द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से किया जायेगा, तथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय अधिकतम 12000/-रु० प्रतिमाह देय होगा।

प्रशिक्षण-एफ0एम0आर0 कोड संख्या E.2.1 (New FMR Code9.5.11.4)

फार्मासिस्ट एवं नर्सों

वर्ष 2018-19 में प्रशिक्षण कराये जाने के लिए रु० 13000/- प्रति बैच की दर से कुल 36 बैचों हेतु धनराशि जनपद अमरोहा, बागपत, बलिया, देवरिया, फर्रुखाबाद, हापुड़, झांसी, कानपुरदेहात, कानपुर, शामली, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, एवं उन्नाव के हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एवं नर्सों के एक दिवसीय ओरिएन्टेशन ऑफ आई0डी0एस0पी0 एवं निर्धारित प्रारूपों पर सूचनाओं का प्रेषण आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण जनपद मुख्यालय स्तर पर सम्पादित कराने के लिये धनराशि आवंटित की गयी है। प्रत्येक प्रशिक्षण बैच में लगभग 20 से 30 प्रतिभागी होंगे (सूची संलग्न) व्यय से सम्बन्धित दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-

Cost Calculation for a batch

SN	Items	Rate per participants (Amt in Rs.)	No of Participants	No Of Days	Total Amount in Rs
1	Food for participants	150	30	1	4500
2	Trainers / facilitors - Food and TA/DA(150 Lunch +350 Honorarium)	500	2	1	1000
3	Contingency (Pen, Pad, Plastic folder, POL, etc.)	100	30	1	3000
4	Overhead/Participant - Genset/Diesel/Projector etc	50	30	1	1500
5	TA to Participants	100	30	1	3000

Asst. Secy

[Handwritten signatures]

तीय व
पयोग

of Sentir

ड संख्या

र, बहरा:

इन्ट्री अं

वित्तीय

वर्ष 201

1, कुशीन

को रु०

शे स्वीक

-19 में

दिशा-निर्देश

F.1.3.B

के लिए

कृत किए

3.00 लाख

स का प्र

T। प्रशिक्ष

3 बैच व

आयोज

विशिष्ट

किया ज

os (On

Rate in

एफ0एम0आर0कोड संख्या E.2.3(New FMR Code9.5.11.1)

चिकित्साधिकारियों का प्रशिक्षण

वर्ष 2018-19 में प्रशिक्षण कराये जाने के लिए रु0 19100/- प्रति बैच की दर से कुल 75 बैचों हेतु धनराशि प्रति जनपद हॉस्पिटल के चिकित्सा अधिकारियों के एक दिवसीय ओरिएन्टेशन ऑफ आई0डी0एस0पी0 एवं निर्धारित प्रारूपों पर सूचनाओं का प्रेषण आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण जनपद मुख्यालय स्तर पर सम्पादित कराने के लिये धनराशि आवंटित की गयी है। प्रत्येक प्रशिक्षण बैच में लगभग 20 से 30 प्रतिभागी होंगे। व्यय से सम्बन्धित दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-

Cost Calculation for a batch

SN	Items	Rate per participants (Amt in Rs.)	No of Participants	No Of Days	Total Amount in Rs
1	Food for participants	200	30	1	6000
2	Trainers / facilitors - Food and TA/DA	550	2	1	1100
3	Contingency (Pen, Pad, Plastic folder, POL, etc.)	150	30	1	4500
4	TA/DA for ASHA@ Rs. 50 per ASHA	50	30	1	1500
5	TA to Participants	200	30	1	6000

एफ0एम0आर0कोड संख्या-E.3(Laboratory Support)

E.3.4 (New FMR Code10.4.3)(Reimbursement based payment for laboratory tests) and E.3.5(New FMR Code10.4.4) (Expenses on account of consumables, operating expanses, office expanses, transport of samples, miscellaenous etc.):—

प्रदेश के 07 चिन्हित राजकीय मेडिकल कालेजों क्रमश:-

1. एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ।
2. उत्तर प्रदेश रुरल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस (यू0पी0आर0आई0एम0एस0), सैफई, इटावा।
3. बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4. एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा।
5. एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झांसी।
6. जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुरनगर।
7. के0जी0एम0यू0, लखनऊ।

उक्त चिन्हित मेडिकल कालेजों के उपयोगार्थ एफ0एम0आर0 कोड संख्या E.3.4 (Reimbursement based payment for laboratory tests) के अन्तर्गत रु0-100000/-की धनराशि प्रति रेफरल मेडिकल कालेज आवंटित की गयी है। इस धनराशि से संक्रामक रोगों के भेजे गये नमूनों का परीक्षण किये जाने में होने वाले व्यय का रिम्बर्समेंट उक्त धनराशि से किया जायेगा। यह रिम्बर्समेंट जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सम्बन्धित मेडिकल कालेजों द्वारा प्रेषित किये गये बिल के सापेक्ष जनपद मुख्यालय स्तर से किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त एफ0एम0आर0 कोड संख्या-E.3.5 (Expenses on account of consumables, operating expanses, office expanses, transport of samples, miscellaenous etc.) के अन्तर्गत रु0-100000/-प्रति रेफरल लैब हेतु आवंटित किया गया है, जिसे सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से

स्थानान्तरित कर दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार के संचारी रोग होने की स्थिति में चिन्हित मेडिकल कालेज से सम्बद्ध जनपदों द्वारा यदि कोई नमूने परीक्षण के लिए भेजे जाते हैं, तो उसके परीक्षण हेतु आवश्यक कन्जुमेबिल्स एवं अन्य सम्बन्धित व्यय हेतु उक्त धनराशि का प्रयोग किया जा सके।

आपरेशनल व्यय—E.4 (New FMR Code 16.3)

E.4.1 (Mobility: Travel Cost, POL, Mobility cost on need basis):- इस मद में जनपद स्तर पर मोबिलिटी, ट्रेवलकॉस्ट, आउट ब्रेक की स्थिति में भ्रमण हेतु, सर्विलांस एवं रिपोर्टिंग को सुदृढीकृत किये जाने हेतु किये गए भ्रमण, आदि हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है। आवंटित धनराशि से प्रत्येक जनपद को उपलब्ध बजट के सापेक्ष अधिकतम ₹0 30,000 प्रतिमाह की दर से डी0पी0एम0यू0 यूनिट की भांति/जनपद स्तर पर टेण्डर की प्रक्रिया द्वारा चयनित एजेंसी से वाहन हायर कर सकते हैं अथवा उपलब्ध शासकीय वाहनों हेतु पी0ओ0एल0 के लिए किया जा सकता है। आर0ओ0पी0 2018-19 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 05 माह की धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा शेष माह के लिये दिशा-निर्देश पृथक से राज्य स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे।

E.4.2(New FMR Code 16.4)(Expanses on - telephone, communication, Broad Band, weekly alert, office expance, meeting & other Misc. expanses):- इस मद से टेलीफोन/मोबाईल, इण्टरनेट/डोंगल, वीकली एलर्ट/एनुवल डिजीज सर्विलेस रिपोर्ट हेतु, रिव्यू मीटिंग, कार्यालय व्यय, आफिस स्टेशनरी एवं अन्य व्यय जैसे- यदि पूर्व में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये उपकरण पूर्णतः अक्रियाशील हों एवं वेजन पद जिन्हें भारत सरकार द्वारा कम्प्यूटर आदि उपकरण उपलब्ध न कराये गये हों वे आवश्यकता दर्शाते हुये जिला स्वास्थ्य समिति का अनुमोदन प्राप्त कर नियमानुसार क्रय कर सकते हैं। इस हेतु पूर्व वर्ष में इस मद में किये गये व्यय के अनुसार धनराशि आवंटित की जा रही है।

E.4.2(New FMR Code 16.7)(Expanses on - Minor repair, AMC of IT equipments expanses):- इस मद से उपकरणों की मरम्मत, उपकरणों की ए0एम0सी0, हेतु ₹0 6000 प्रतिवर्ष धनराशि आवंटित की जा रही है।

E.4.2(New FMR Code 12.7) (Printing of P,L,S Forms)- इस मद से ₹0 20000 प्रति वर्ष प्रति जनपद आई0डी0एस0पी0 पोर्टल पर सभी पंजीकृत रिपोर्टिंग इकाइयों के लिये आवश्यक पी0एल0 एवं एस0 फार्म में दिया जा रहा है।

- आवश्यकतानुसार फार्म एस0 तीन कॉपियों में छपावाकर सभी सब सेन्टर्स को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से तथा आयुष पद्धति के चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाये। सब सेन्टर की रिपोर्ट स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा आयुष पद्धति के चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों की रिपोर्ट स्वास्थ्य पर्यवेक्षक द्वारा एकत्रित कराकर प्रत्येक शनिवार को प्रभारी पी0एच0सी0 को उपलब्ध कराई जाए।
- आवश्यकतानुसार फार्म पी0 दो कॉपियों में छपावाकर सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/अति प्रा0स्वा0केन्द्र तथा चिकित्सालयों को उपलब्ध कराया जाए, यही फार्म अन्य एलोपैथिक, सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए।
- आवश्यकतानुसार फार्म एल0 ब्लाक पी0एच0सी0 लैब, सी0एच0सी0 लैब अति प्रा0स्वा0केन्द्र तथा जिला चिकित्सालयों की लैब, अन्य निजी चिकित्सालयों की लैब को उपलब्ध कराया जाए।

नोट:-उपरोक्त समस्त मदों में व्यय भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त दिशा-निर्देशों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार के अनुरूप किया जायेगा।

Aswathy

[Handwritten signature]